तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मु० नं० 16/2022 प्रार्थना पत्र स्थानांतरण उनवान: रामअवतार बनाम रणजीत सिंह गोदारा व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6-5-22	अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री रणजीत सिंह गोदारा उपखण्ड अधिकारी सिकराय का स्थानांतरण हो चुका है इसलिये प्रार्थना पत्र स्थानांतरण को आगे चलाये जाने का औचित्य नहीं है, प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 के उक्त कथन से कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं अधिवक्ता प्रार्थी व अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 के कथन पर मनन किया गया। प्रकरण में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री रणजीत सिंह गोदारा उपखण्ड अधिकारी सिकराय का स्थानांतरण हो जाने से विचाराधीन प्रार्थना पत्र स्थानांतरण को आगे चलाया जाना उचित नहीं है इसलिये न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय में विचाराधीन मु० नं० 06/2021 उनवान रमेश बनाम रामअवतार को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानांतरित करने हेतु इस न्यायालय में प्रार्थी श्री रामअवतार पुत्र श्री बाला सहाय जाति ब्राह्मण निवासी देवरी तहसील सिकराय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानांतरण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय को भिजवाई जावे। पत्रावली कैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेखभण्डार की जावे। निर्णय आज दिनांक 06-5-2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। (आर० के० मीना) अति. जिला कलक्टर दौसा	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official